राजस्व अपील संख्या 212/2022
अनवान
चनणाराम बनाम गिरधारीराम वगैरा

दिनांक 13—5—2022

वकील अपीलांट उपस्थित । वर्तमान अपील ग्राम पश्चिमी ढाणी पटवार मण्डल लोहावट जे.बी. के म्युटेशन संख्या 412 पर तहसीलदार (भू.अ.) लोहावट द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 4—2—2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की है । उक्त अपील की सुनवाई के क्षेत्राधिकार एवं ग्राह्यता पर अपीलांट अधिवक्ता को सुना गया तथा अपीलाधीन म्युटेशन संख्या 412 का अवलोकन किया गया जो कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर फलोदी के आदेश क्मांक 242 दिनांक 24—1—2022 एवं तहसीलदार लोहावट के आदेश क्मांक 204 दिनांक 25—1—2022 की पालना मे पटवारी हल्का द्वारा दर्ज कर बाद निरीक्षक भू.अ. लोहावट की जांच के तहसीलदार लोहावट द्वारा दिनाक 4—2—2022 को स्वीकृत किया जाना पाया जाता है तथा तहसीलदार द्वारा स्वीकृत किये गये उक्त नामांतरकरण संख्या 412 के विरूद्ध प्रथम अपील विधिवत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 (क) के तहत जिला कलेक्टर/अति० जिला कलेक्टर के समक्ष प्रस्तुत होगी । चूँकि अपीलांट अधिवक्ता ने उक्त अपील इस न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत कर दी है जो दर्ज की जाकर सक्षम न्यायालय मे प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ वकील अपीलांट को लौटा दी जाये । पत्रावली इस न्यायालय के दायरा रजिस्टर के नंबर से कम हो । वर्तमान अपील इस न्यायालय मे प्रस्तुत करने एवं पुनः लौटाई जाने की अवधि को अंदर मयाद सुमार की जाती है ।

मूल अपील प्राप्त की
26/5/22